

खाद्य एवं सम्भरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
 (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उपभोक्ता कार्ड हेतु आवेदन-प्रपत्र)

आवेदक का फोटो

1. पुराना राशन कार्ड न.(यदि कोई है)	2. मोबाइल न.						
3. आवेदक का पूरा नाम (परिवार की वरिष्ठतम महिला)	4. फार्म न.						
5. राष्ट्रीयता	6. व्यवसाय						
7. पूरा पता							
8. परिवार की कुल वार्षिक आय (शब्दों में)							
9. पात्रता श्रेणी	(कृपया फार्म के पीछे देंखें)						
10. आवेदक एवं सदस्यों का पूर्ण विवरण (प्रथम कालम में आवेदक अपना स्वयं का विवरण दें), अधिक सदस्यों के लिए अतिरिक्त शीट का प्रयोग करें।							
क्र. सं.	नाम	लिंग म./पु.	जन्म तिथि DD/MM/YYYY (दि/म/वर्ष)	माता का नाम	पिता/पति का नाम	मुख्या से संबंध	आधार न. (यदि आधार न. नहीं मिला है तो ई.आई.डी. नम्बर भरें)
1						स्वयं	
2							
3							
4							
5							
6							
7							

11. संलग्न दस्तावेज़:- (क) प्रत्येक सदस्य के आधार संख्या/ई.आई.डी. की प्रति (ख) स्थाई पते का प्रमाण(यदि आधार कार्ड के पते से भिन्न है)
 (ग) आय प्रमाण पत्र(जहाँ लागू है)

घोषणा:- मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना सही है:-

- मैं भारतीय नागरिक हूँ।
- मैं और उपरोक्त लिखित सदस्य स्थायी रूप से दिल्ली में रहते हैं एवं इनके नाम दिल्ली या अन्य किसी राज्य के उपभोक्ता कार्ड में नहीं हैं।
- मैं इस कार्ड का प्रयोग विनिरिट खाद्य वस्तुएं प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करूँगी।
- मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास चार पहिए या इससे अधिक पहिए वाला वाहन नहीं है।
- मेरे घर पर 02 किलोवाट से अधिक का बिजली का कनेक्शन नहीं है।
- मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है।
- मैं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम कोई जमीन या घर एम.सी.डी. के A से E श्रेणी की कॉलोनी में नहीं है।
- मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय/केन्द्र या राज्य की स्वायत्त संस्थाओं इत्यादि में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं हूँ।
- मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य किसी भी सरकारी स्कीम में राशन/खाद्य सब्सिडी प्राप्त नहीं कर रहा हूँ।
- मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सूचना झूठी या गलत पाए जाने पर मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन सजा की जिम्मेदार होऊँगी व किसी भी गलत सूचना के लिए जाने पर सूजा या जुर्माना तथा उपभोक्ता कार्ड के निरस्त किए जाने की स्वयं जिम्मेदार होऊँगी।
- मेरे या मेरे परिवार के उपरोक्त सदस्यों की यू.आई.डी.ए.आई में संकलित सूचना प्रयोग में ली जा सकती है।

हस्ताक्षर/ निशानी अंगूठा (आवेदक/मुख्या)

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
 (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उपभोक्ता कार्ड हेतु आवेदन -पावती)

फार्म न.....

मंडल कार्यालय संख्या.....

पावती क्रमांक

श्रीमति

से दिनांक

को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के अन्तर्गत

उपभोक्ता कार्ड हेतु आवेदन प्राप्त हुआ।

मुहर(मंडल कार्यालय).....

हस्ताक्षर(काउन्टर सहायक)

फार्म भरने संबंधी निर्देश एवं जानकारी

1. ग्रष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत "ग्रष्टीय खाद्य सुरक्षा कार्ड" परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला के नाम से बनेगा।
2. यदि आप निम्न श्रेणियों में से किसी एक से भी संबंधित हैं तो आप इस योजना में शामिल किए जाने के पात्र हैं। विस्तृत जांच के पश्चात् आपका फार्म स्वीकृत किया जाएगा।

निम्नलिखित में से कोई एक पात्रता श्रेणी में भर्ते(कॉलम संख्या 9):-

- (i) स्लम निवासी।
- (ii) F, G एवं H श्रेणी के पुनर्वास कालोनी के निवासी।
- (iii) ग्रामीण क्षेत्र के अधिसूचित आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोग।
- (iv) बेघर व्यक्ति।
- (v) किन्नर।
- (vi) निःशक्त व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत निःशक्तता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले विकलांग व्यक्ति।
- (vii) एकल महिलाएँ(घर में किसी दूसरे पर निर्भर रहने वाली महिला), जिसमें विधवा, कुँआरी, तलाकशुदा एवं परित्यक्त महिलाएं शामिल हैं।
- (viii) बेसहारा बच्चे।
- (ix) पेशागत निर्बल समूह जिसमें कूड़ा बिनने वाले, भवन निर्माण में लगे अकुशल मजदूर, कुली, दिहाड़ी मजदूर, अनियमित घरेलू कर्मचारी, साईकिल रिक्षा चालक, लघु उद्योग एवं कुटिर उद्योगों में लगे अकुशल मजदूर शामिल हैं।
- (x) अन्य परिवार जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रु. 1 लाख या उससे कम है।

3. निम्नलिखित शर्तें देखने के पश्चात् यह निर्धारित किया जाएगा कि आपका आवेदन क्यों नहीं स्वीकृत किया जा सकता:-
 - (i) यदि परिवार के किसी सदस्य के पास हल्का या भारी चार पहिया वाहन है(यदि जीविकोपार्जन के लिए एक व्यावसायिक वाहन है तो उसे अवाया नहीं माना जाएगा)।
 - (ii) यदि परिवार के सदस्य के पास दिल्ली में A से E श्रेणी का कोई मकान या जमीन है।
 - (iii) यदि परिवार का कोई भी सदस्य सरकार से किसी भी योजना के अन्तर्गत राशन या खाद्य सम्बिंदी प्राप्त कर रहा है।
 - (iv) यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है।
 - (v) यदि परिवार का कोई सदस्य केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय/ केन्द्र या राज्य की स्वायतं संस्थाओं इत्यादि में किसी भी पद पर कार्यरत है।
 - (vi) यदि परिवार में बिजली का कनेक्शन 2 किलोवाट से ज्यादा का है।
4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़:-
 - (i) परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड/EID की कापी।
 - (ii) आवेदक के निवास प्रमाण पत्र की कापी यदि आवेदन में दिया हुआ पता, आधार कार्ड में दिए हुए पते या राशन कार्ड के पते से भिन्न है। बेघर व्यक्ति के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
 - (iii) राजस्व विभाग द्वारा जारी किया हुआ आयप्रमाण पत्र जहाँ आवश्यक हो।(निर्देश संख्या 2 के (i) से (viii) में आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।)

5. आवेदन जमा करने का स्थान:-

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र संलग्न दस्तावेजों के साथ, संबंधित मंडल कार्यालय(राशन दफ्तर) अथवा जी.आर.सी.केन्द्रों में जमा करें।
